19.12.18

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट अधिवक्ता को अपील में संलग्न रेकार्ड-रूप की तामीली पूर्ण किये जाने हेतु कई बार अवसर प्रदान किये गये हैं। परन्तु लम्बे समय तक उनके द्वारा अपेक्षित कार्यवाही समयावधि नहीं की गई है। ऐसे में अपील पत्रावली को और विचाराधीन रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपील पत्रावली को अपीलान्ट अधिवक्ता की अनुपस्थिति में तथा अदम तामील में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड मय आदेशिका की प्रति सहित लौटाया जावें।